मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
आदेश

भोपाल,दिनांक 23/04/2016

क्रमांक एफ ए 8–3/2014/एक(1) :: इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 7–289/2010/एक(1), दिनांक 20/10/2010 को संशोधित करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्री/राज्यमंत्रीगणों के स्वेच्छानुदान की वार्षिक राशि में वृध्दि कर अब निम्नानुसार धन राशि निर्धारित करता हैं :–

उप मुख्यमंत्री/मंत्री (प्रत्येक को)	50,00,000/– (रू. पचास लाख)
राज्यमंत्री (प्रत्येक को)	35,00,000/–(रू. पैतीस लाख)

2/ यह आदेश दिनांक 01.04.2016 से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार मिश्र)
उप सचिव एवं राज्य शिष्टाचार अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ ए 8–3/2014/एक(1) भोपाल,दिनांक 23/04/2016

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजभवन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव(समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय
6. निज सचिव समस्त मंत्री/राज्यमंत्रीगण, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
9. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
10. मुख्य लेखाधिकारी, म0प्र0 मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
11. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
12. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, मंत्रालय, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव एवं राज्य शिष्टाचार अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन–भोपाल

/ /संशोधन–आदेश/ /

भोपाल, दिनांक 08 मई 2006

क्रमांकः एफ ए 7–98/2005/एक(1) :: मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा दिये जाने वाले स्वेच्छानुदानों को विनियममित करने के लिए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1920/3670/एक(1) 81, दिनांक 28.05.1982 में उल्लेखित वित्तीय शक्ति पुस्तिका के नवें अध्याय के वर्तमान पैरा–62 अ (2) (च) में उल्लेखित वर्तमान प्रावधान को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

पैरा–62 अ (2) (च) के मामले में–

(च) (1) मुख्यमंत्री सचिवालय व मंत्रीगण से मिनिट्स प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष–1 द्वारा स्वेच्छानुदान में बजट राशि के आधार पर स्वेच्छानुदान हेतु स्वीकृति आदेश तुरन्त जारी किया जावेगा जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा फैक्स/ई–मेल से संबंधित जिलाध्यक्ष को भेजा जावेगा।

(2) संबंधित जिलाध्यक्ष द्वारा इस आदेश के आधार पर जिले के कोषालय से इसका आहरण किया जावेगा। यह आहरण बजट–इन–ट्रांजिट व्यवस्था के अंतर्गत किया जावेगा।

(3) राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एस.एफ.एम.एस.) के अंतर्गत चूँकि साप्टवेयर (विट) में बजट–इन–ट्रांजिट संबंधी व्यवस्था उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत प्रथमतः देयक कोषालय अधिकारी द्वारा बजट की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश के आधार पर पारित किया जा सकेगा और स्वेच्छानुदान से संबंधित हितग्राही के नाम से चेक जारी किया जा सकेगा। तत्पश्चात् उसी वित्तीय वर्ष में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा उपलब्ध बजट में से आवश्यक राशि संबंधित कोषालय अधिकारियों को सेंट्ल सर्वर के माध्यम से बजट उपलब्ध करवाया जावेगा। जिसमें स्वेच्छानुदान अंतर्गत आहरित राशि का समायोजन किया जा सकेगा।

(4) संबंधित कलेक्टर राशि के चेक संबंधित को वितरित कर प्राप्ती रसीद एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र/स्टेम्प रसीद आदि प्राप्त कर मुख्य लेखाधिकारी को भेजेंगे। मुख्य लेखाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र/स्टेम्प रसीद आदि का संधारण आडिट हेतु किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.आर.एस.मरावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(2)

पृ0 कमांकः एफ ए 7–98/2005/एक(1) **भोपाल, दिनांक 08 मई 2006**

प्रतिलिपि–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
2. समस्त निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीगण, मध्यप्रदेश शासन,भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग,भोपाल. कृपया आयुक्त,कोष एवं लेखा व सभी कोषालय अधिकारियों को शीघ्र निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर.
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश प्राप्त होते ही तुरन्त राशि का आहरण कर बिना बिलम्ब के हितग्राही को वितरित करने का कष्ट करें ।
6. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल.
7. मुख्यलेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल
8. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि कोषालय अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि आदेश के अनुसार कलेक्टर द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर तुरन्त राशि आहरित कर कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
9. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
10. जनसम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
10. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एसकेन.06052006/

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

—::अधिसूचना::—

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी, 2006.

क्रमॉक एफ.ए. 7—98/05/एक(1), :: मान0 मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा दिये जाने वाले स्वेच्छानुदानों को विनियमित करने के लिए वित्तीय शक्ति पुस्तिका के नवें अध्याय के वर्तमान पेरा—62 अ को विलुप्त करके उसके स्थान पर विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1920/3670/एक(1)/81, दिनांक 28 मई 1982 जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पैरा 62 (अ) प्रतिस्थापित किया जाता है। अर्थातः—

पैरा— 62 अ (1) माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य माननीय मंत्रियों को प्रतिवर्ष व्यय के निमित्त एक मुश्त विनियोग सौंप दिये जाते हैं, ताकि ये लोक निधियों से सहायता योग्य प्रयोजनों के लिए अपने विवेकानुसार अनुदान दे सके। माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य माननीय मंत्रिगण नीचे उल्लिखित निर्बधनों के अध्यधीन निर्धारित सीमा के भीतर व्यय मंजूर कर सकेंगेः—

(क) अनुदान ऐसे किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए दिये जा सकते हैं, जिसका व्यय राज्य द्वारा उसके राजस्वों में से भुगतान योग्य हो ।

टीपः— ''सार्वजनिक प्रयोजन'' में निम्नलिखित मुद्दे शामिल है :—

<u>व्यक्ति विशेष के मामले में</u> :—

"चिकित्सा, शिक्षा, ईमानदारी एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए पुरस्कार, पाठशाला के योग्य तथा निर्धन बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार, विधवा स्त्री, मुक्त बन्धुआ मजदूर, गरीब व्यक्ति की लड़की, <u>अनाथ लड़कियों की शादी</u> के लिए आर्थिक सहायता, अत्यंत गरीब व्यक्ति, अनाथ या अपंग व्यक्ति को सहायता", हाट बाजार मेलों में घटित घटना में मृतकों/घायलों के परिवारों को

आर्थिक सहायता, बिजली के करंट से मृत/घायल व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता, रेल/ बस

. 2

इत्यादि दुर्घटना, डकैतों/चोरों द्वारा लूट करने के दौरान मृतकों/घायलों के परिवारों को आर्थिक सहायता, खान दुर्घटना, डूबने से मृत्यु अथवा अन्य किसी घटना में मृतकों/घायलों के परिजनों को आर्थिक सहायता, प्राकृतिक/आकस्मिक घटना/आपदा से प्रभावित परिवारों व्यक्तियों को सहायता, इत्यादि, अन्य महानुभावों की जयंती/महोत्सव मनाने हेतु अनुदान।" उक्त मामलों में स्वेच्छानुदान मद से राशि उसी स्थिति में स्वीकृत की जाए जब शासन की किसी अन्य कल्याणकारी योजना के तहत सहायता स्वीकृत न की गई हो।

(2) <u>संस्था के मामले में</u> :–
'इसके तहत ऐसे सभी सार्वजनिक प्रयोजन शामिल होंगे जो जनहित के स्वरूप के हों ।

(ख) कोई आवर्ती व्यय नहीं किया जा सकेगा ।

(ग) (एक) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर रहने वाले केवल ऐसे व्यक्तियों के मामलों को छोड़ जो उक्त नियम (क) टीप (1) के अनुसार अनुदान से सहायता पाने की योग्यता रखते हों, अन्य मामलों में धर्मार्थ संस्थाओं या संस्थाओं से भिन्न व्यक्तियों के विशुद्धतः व्यक्तिगत या धर्मार्थ भुगतानों के स्वरूप का कोई अनुदान नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति के मामलें में ऐसा अनुदान रूपये 1000/– (रूपये एक हजार) से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री को किसी भी व्यक्ति को रूपये 2000/– (रूपये दो हजार) तक ऐसे अनुदान देने की शक्तियॉ होगी । राजनीतिक तथा धार्मिक स्वरूप की

संस्थाओं को कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा ।

(दो) स्वविवेकाधीन अनुदान किसी भी व्यक्ति को लोक हित में उसकी असाधारण सेवा के लिए माननीय मंत्रियों द्वारा रूपये 1000/–(रूपये एक हजार) और माननीय मुख्यमंत्री जी

. 3

द्वारा रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार) तक का पुरूस्कार दिया
जा सकेगा किन्तु सरकारी सेवक को यह पुरूस्कार प्रदान नहीं किया जायेगा ।

(घ) समस्त व्यय की लेखा परीक्षा की जाएगी ।

(ड़) 'अनुदानों को किसी भी एक वर्ष में, किसी भी एक मामलें के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा अधिक से अधिक 2.00 लाख रूपये (दो लाख रूपये) तक उपमुख्यमंत्री/मंत्रियों द्वारा रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार) तक, राज्यमंत्री द्वारा 16,000/– (रूपये सोलह हजार) तक और उपमंत्री/संसदीय सचिव द्वारा रूपये 4,000/– (रूपये चार हजार) तक सीमित रखा जाना चाहिए ।

(3) अनुदानों से, माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य माननीय मंत्रियों द्वारा, दानों की रकम के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित की गई है:–

(क) जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य माननीय मंत्रिगण द्वारा कोई दान देने का निर्णय करें वैसे ही मुख्य सचिव, महालेखाकार को आदेशों की एक प्रति भेजेगा, जिसके साथ मुख्य लेखाधिकारी सचिवालय द्वारा हस्ताक्षरित एक सादी रसीद भी होगी । मुख्य सचिव द्वारा

आदेशों की एक प्रति वित्त विभाग को भेजी जाना चाहिए ताकि वह वार्षिक आवंटन से व्यय की प्रगति की जॉच कर सके ।

(ख) प्रत्येक ऐसे मामले को, जिसमें कोई अनुदान मंजूर किया गया हो, मुख्यलेखाधिकारी, सचिवालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में लाया जाना चाहिए ताकि वे दिये गये प्रत्येक अनुदान के संबंध में माननीय मंत्रियों को अवगत रख सके, जिसमें कि भविष्य में किसी संस्था को अनुदान देने के

. 4

संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करते समय उन्हें यह बात मालूम रहे कि संस्था को किसी अन्य मंत्री से अनुदान पहले ही प्राप्त हो चुका है । यह बात , योग्य मामलों में, उसी संस्था को दूसरा अनुदान देने के सबंध में माननीय मंत्री को नहीं रोकेगी।

(ग) यदि शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कोई अनुदान दिया जाता है तो बिल पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले सचिव के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अनुदान के संबंध में महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, यदि वह (अनुदान) व्यक्ति के मामलें में रूपये 500/–(रूपये पॉच सौ) से अधिक न हो और संस्था के मामले में रूपये 1000/– (रूपये एक हजार) से अधिक न हो ।

(घ) ये अनुदान कोषागार संहिता,जिल्द–1 के उप नियम (एस.आर.) 424 में निर्धारित उपबंधों के अनुसार दिये गये जायेगें ।

(ड) विवेकाधीन अनुदान के प्रयोजनार्थ मुख्य लेखाधिकारी, सचिवालय आहरण अधिकारी होगा ।

(च) मुख्य लेखाधिकारी, सचिवालय जैसे और जब भी रकम की आवश्यकता होगी, रकम का आहरण करेगा और उसका संवितरण करेगा तथा अंतिम लेखा परीक्षा के लिए महालेखाकार को आदाता की रसीद अग्रेषित करेगा।

(छ) दान का भुगतान आवश्कतानुसार या तो ड्राप्ट द्वारा या मनिआर्डर के मामलों में पोस्टल कमीशन सचिवालयीन आकस्मिकताओं में विकलित कर दिया जायेगा ।

(4) यदि कोई भी दिया जाने वाला अनुदान, स्वेच्छानुदान नियमों में उल्लगखित सार्वजनिक प्रयोजन के

. 5

अध्यधीन तथा निर्धारित राशि के सीमा के भीतर न हो तो उपयुक्त पाये जाने वाले प्रकरण में मुख्यमंत्री द्वारा, नियमों को शिथिल कर, स्वीकृत किया जा सकेगा, बशर्ते स्वीकृत अनुदान बजट में प्रावधानित राशि के अंतर्गत देय हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से
तथा आदेशानुसार,

(खुशीराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठां. क्रं. एफ.ए. 7–98/05/एक(1) भोपाल,दिनॉक 24 फरवरी, 2006

प्रतिलिपिः–

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव.
2. समस्त मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक।
3. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. संभागीय आयुक्त/कलेक्टर समस्त म0प्र0
6. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(खुशीराम)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन
विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

—::अधिसूचना::—

भोपाल, दिनांक 28 मई 1982.

कमॉक 1920/3670/एक(1) 81, :: मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा दिये जाने वाले स्वेच्छानुदानों को विनियमित करने के लिए वित्तीय शक्ति पुस्तिका के नवें अध्याय के वर्तमान पेरा—62 अ को विलुप्त करके उसके स्थान पर निम्नानुसार पैरा—62—अ प्रतिस्थापित किया जाता हैं अर्थातः—

62 अ (1) माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य माननीय मंत्रियों को प्रतिवर्ष व्यय के निमित्त एक मुश्त विनियोग सौंप दिये जाते हैं, ताकि ये लोक निधियों से सहायता योग्य प्रयोजनों के लिए अपने विवेकानुसार अनुदान दे सके। माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य माननीय मंत्रिगण नीचे उल्लिखित निर्बधनों के अध्यधीन निर्धारित सीमा के भीतर व्यय मंजूर कर सकेंगेः—

(क) अनुदान ऐसे किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए दिये जा सकते हैं, जिसका व्यय राज्य द्वारा उसके राजस्वों में से भुगतान योग्य हो ।
टीपः— ''सार्वजनिक प्रयोजन'' में निम्नलिखित मुद्दे शामिल है :—

(1) व्यक्ति विशेष के मामलें में :—
चिकित्सा, शिक्षा, ईमानदारी एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए पुरूस्कार, पाठशाला के योग्य तथा निर्धन बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरूस्कार, विधवा स्त्री एवं मुक्त बन्धुआ मजदूर की लड़की की शादी के लिए आर्थिक सहायता, अत्यंत गरीब व्यक्ति, अनाथ या अपंग व्यक्ति को सहायता.

(2) संस्था के मामले में :—
'इसके तहत ऐसे सभी सार्वजनिक प्रयोजन शामिल होंगे जो जनहित के स्वरूप के हों ।
'(सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमॉक एफ ए 7—39/97/एक(1) दिनॉक 25.8.1998 द्धारा संशोधित)

(ख) कोई आवर्ती व्यय नहीं किया जा सकेगा ।

(2)

(ग) (एक) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर रहने वाले केवल ऐसे व्यक्तियों के मामलों को छोड़ जो उक्त नियम (क) टीप (1) के अनुसार अनुदान से सहायता पाने की योग्यता रखते हों, अन्य मामलों में धर्मार्थ संस्थाओं या संस्थाओं से भिन्न व्यक्तियों के विशुद्धतः व्यक्तिगत या धर्मार्थ भुगतानों के स्वरूप का कोई अनुदान नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति के मामलें में ऐसा अनुदान रूपये 1000/–(रूपये एक हजार) से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री को किसी भी व्यक्ति को रूपये 2000/' (रूपये दो हजार) तक ऐसे अनुदान देने की शक्तियॉ होगी । राजनीतिक तथा धार्मिक स्वरूप की संस्थाओं को कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा ।

(दो) स्वविवेकाधीन अनुदान किसी भी व्यक्ति को लोक हित में उसकी असाधारण सेवा के लिए माननीय मंत्रियों द्वारा रूपये 1000/–(रूपये एक हजार) और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार) तक का पुरूस्कार दिया जा सकेगा किन्तु सरकारी सेवक को यह पुरूस्कार प्रदान नहीं किया जायेगा ।

(घ) समस्त व्यय की लेखा परीक्षा की जाएगी ।

(ड़) 'अनुदानों को किसी भी एक वर्ष में, किसी भी एक मामलें के संबंध में मुख्यमंत्री द्धारा अधिक से अधिक 2.00 लाख रूपये (दो लाख रूपये) तक उपमुख्यमंत्री/मंत्रियों द्वारा रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार) तक, राज्यमंत्री द्वारा 16,000/– (रूपये सोलह हजार) तक और उपमंत्री/संसदीय सचिव द्वारा रूपये 4,000/– (रूपये चार हजार) तक सीमित रखा जाना चाहिए ।
'(सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमॉक एफ ए 7–39/98/एक(1) दिनॉक 2.7.98 द्वारा संशोधित)

(2) अनुदानों से, माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य माननीय मंत्रियों द्वारा, दानों की रकम के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित की गई है:–

(क) जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य माननीय मंत्रिगण द्वारा कोई दान देने का निर्णय करें वैसे ही मुख्य सचिव, महालेखाकार को आदेशों की एक प्रति भेजेगा, जिसके साथ मुख्य लेखाधिकारी सचिवालय

..... 3

द्वारा हस्ताक्षरित एक सादी रसीद भी होगी । मुख्य सचिव द्वारा आदेशों की एक प्रति वित्त विभाग को भेजी जाना चाहिए ताकि वह वार्षिक आवंटन से व्यय की प्रगति की जॉच कर सके ।

(ख) प्रत्येक ऐसे मामले को, जिसमें कोई अनुदान मंजूर किया गया हो, मुख्यलेखाधिकारी, सचिवालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में लाया जाना चाहिए ताकि वे दिये गये प्रत्येक अनुदान के संबंध में माननीय मंत्रियों को अवगत रख सके, जिसमें कि भविष्य में किसी संस्था को अनुदान देने के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करते समय उन्हें यह बात मालूम रहे कि संस्था को किसी अन्य मंत्री से अनुदान पहले ही प्राप्त हो चुका है । यह बात , योग्य मामलों में, उसी संस्था को दूसरा अनुदान देने के सबंध में माननीय मंत्री को नहीं रोकेगी।

(ग) यदि शर्तो के अध्यधीन रहते हुए कोई अनुदान दिया जाता है तो बिल पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले सचिव के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अनुदान के संबंध में महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, यदि वह (अनुदान) व्यक्ति के मामलें में रूपये 500/–(रूपये पॉच सौ) से अधिक न हो और संस्था के मामले में रूपये 1000/– (रूपये एक हजार) से अधिक न हो ।

(घ) ये अनुदान कोषागार संहिता,जिल्द–1 के उप नियम (एस.आर.) 424 में निर्धारित उपबंधों के अनुसार दिये गये जायेगें ।

(ड) विवेकाधीन अनुदान के प्रयोजनार्थ मुख्य लेखाधिकारी, सचिवालय आहरण अधिकारी होगा ।

(च) मुख्य लेखाधिकारी, सचिवालय जैसे और जब भी रकम की आवश्यकता होगी, रकम का आहरण करेगा और उसका संवितरण करेगा तथा अंतिम लेखा परीक्षा के लिए महालेखाकार को आदाता की रसीद अग्रेषित करेगा।

(छ) दान का भुगतान आवश्कतानुसार या तो ड्राप्ट द्वारा या मनिआर्डर के मामलों में पोस्टल कमीशन सचिवालयीन आकस्मिकताओं में विकलित कर दिया जायेगा ।

..... 4

(3) यदि कोई भी दिया जाने वाला अनुदान, स्वेच्छानुदान नियमों में उल्लगखित सार्वजनिक प्रयोजन के अध्यधीन तथा निर्धारित राशि के सीमा के भीतर न हो तो उपयुक्त पाये जाने वाले प्रकरण में मुख्यमंत्री द्वारा, नियमों को शिथिल कर, स्वीकृत किया जा सकेगा, बशर्ते स्वीकृत अनुदान बजट में प्रावधानित राशि के अंतर्गत देय हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता/–
(इंदिरा मिश्रा)
विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

कमांक : 1921/3671/एक(1) भोपाल,दिनॉक 28 मई,1982

प्रतिलिपिः–

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव.
2. उप मुख्यमंत्री जी के निज सचिव.
3. समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री के निज सचिव.
4. मुख्य लेखाधिकारी,मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
5. सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग की ओर दो अतिरिक्त प्रति सहित महालेखाकार,मध्यप्रदेश को पृष्टांकन करने हेतु.

(इंदिरा मिश्रा)
विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग